न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(22)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3259–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–8–16 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला खरगोन पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 02/2015–16.

1– राकेश पिता नारायण गुप्ता
निवासी रेवा नगर, बडवाह
तहसील बडवाह जिला खरगोन

2– श्रीमती रिचा पति निशित अग्रवाल
निवासी द पलेडियन हाउस
सुराना नगर, बडवाह
तहसील बडवाह जिला खरगोन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, खरगोन
जिला खरगोन

2– अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व
बडवाह जिला खरगोन

3– बाबू उर्फ बाबूलाल पिता सीताराम बलाई
निवासी ग्राम मेहताखेडी
तहसील बडवाह जिला खरगोन

4– जितेन्द्र पिता नहारू बलाई

5– मरूबाई पति नहारू बलाई
निवासीगण ग्राम मेहताखेडी
तहसील बडवाह जिला खरगोन

6– संतोषबाई पिता नहारू बलाई
निवासी ग्राम इनपुर
जिला खरगोन

7– भागवतबाई उर्फ रूकमणी पिता नहारू बलाई
निवासी ग्राम कोठी
तहसील पुनासा जिला खरगोन

8– शोभाबाई पिता नहारू बलाई
निवासी ग्राम बागफल
तहसील बडवाह जिला खरगोन

9– भूरीबाई उर्फ ममताबाई पिता नहारू बलाई
निवासी ग्राम आलीखुर्द
तहसील बडवाह जिला खरगोन .....अनावेदकगण

श्री एच.एन. फड़के, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 2
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 3 से 9

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/6/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–8–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 4 लगायत 9 द्वारा कलेक्टर, जिला खरगोन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 4 लगायत 9 के नाम ग्राम मेहताखेडी तहसील बडवाह जिला खरगोन स्थित भूमि भूमि सर्वे कमांक 42/7 रकबा 1.011 हेक्टेयर है, और हम लोग 30–35 वर्षों से भूमि जोतकर परिवार का भरण–पोषण कर रहे हैं किन्तु मरूबाई के पति एवं जितेन्द्र, संतोषबाई, भगवतबाई उर्फ रूकमणि, शोभाबाई एवं भूरीबाई उर्फ ममताबाई के पिता का स्वर्गवास हो जाने से परिवार का पालन करने में कठिनाई आ रही है, इसलिए वे प्रश्नाधीन भूमि बेचकर अन्यत्र भूमि खरीदना चाहते हैं ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके । अतः प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति दी जाये । कलेक्टर द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, बडवाह को भेजा गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 28/बी–121/14–15 दर्ज कर कार्यवाही की जाकर प्रश्नाधीन भूमि के विकय की अनुमति दिये जाने संबंधी अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, बडवाह को प्रेषित किया गया । इसी बीच संहिता की धारा 165 (7–ख) एवं (7–ग) में संशोधन हो जाने के कारण कलेक्टर द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । उक्त संशोधन के अनुरूप अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के बाजार मूल्य 10 प्रति राशि रूपये 1,01,757/– कोषालय में जमा करने के आदेश दिये गये । तद्नुसार अनावेदक कमांक 5 मरूबाई द्वारा उपरोक्त राशि जमा कराया जाकर चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–2–2016 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के अहस्तांतरणीय शब्द को हटाये जाने के आदेश दिये गये । तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 51 के अंतर्गत आदेश दिनांक 11–2–2016 के

पुनर्विलोकन की अनुमति इस आधार चाही गई कि संहिता में पूर्व में दिनांक 21–8–2015 को किये गये संशोधन को दिनांक 31–12–2015 को निरस्त कर दिया गया है, अतः पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाये । कलेक्टर द्वारा दिनांक 26–8–2016 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 165 (7–ख) एवं (7–ग) में दिनांक 21–8–2015 को हुए संशोधन के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत राशि संहिता में दिनांक 31–12–2015 को हुए पुनः संशोधन के पूर्व ही आवेदकगण द्वारा राशि जमा करा दी गई थी, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अहस्तांतरणीय शब्द विलोपित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, परन्तु कलेक्टर द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभगीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11–2–2016 के पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि बाद में संहिता में हुए संशोधन के पूर्व प्रचलित कार्यवाही यथावत जारी रहेगा, इस आधार पर कहा गया कि भले ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश बाद में पारित किया गया है, परन्तु उनकी अधिकारिता समाप्त नहीं होती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि से अहस्तांतरणीय शब्द विलोपित होने के कारण प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय हो चुका चुका है, अतः शिकायत के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

तर्कों के समर्थन में 2000 आर.एन. 76 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता में दिनांक 31–12–2015 में हुए संशोधन के फलस्वरूप उसके पश्चात अनुविभगीय अधिकारी को अहस्तांतरणीय शब्द विलोपित करने का कोई अधिकार नहीं रह गया था, अतः अनुविभगीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश होने से कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई, इसिलए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 लगायत 9 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समर्थन दिया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा जिन आधारों पर पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है वे आधार अपने स्थान पर उचित हैं, क्योंकि जिस दिनांक को संहिता में संशोधन होकर प्रावधान समाप्त हो गये थे उसके बाद उसका लाभ नहीं दिया जा सकता है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रथमदृष्टया ही अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है और ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन कभी भी किया जा सकता है । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–8–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

यह आदेश प्रकरण कमांक 3260–पीबीआर/16 राकेश पिता नारायण गुप्ता आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि पर भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर